

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 24

उत्तर देने की तारीख: 18.07.2022

सामान्य प्रवेश परीक्षा

+24. श्री डी. के. सुरेश:

श्री नलीन कुमार कटील:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए एक सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की व्यवहार्यता का पता लगाने की कोशिश कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में प्रख्यात शिक्षाविदों और विशेषज्ञों की राय मांगी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विश्वविद्यालयों के लिए एक सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित करने हेतु कोई समय-सीमा तय की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सामान्य प्रवेश परीक्षा के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की बारीकियों को जानने हेतु कोई समिति गठित करने का अनुरोध किया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुभाष सरकार)

(क) से (छ): राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुसरण में, छात्रों, विश्वविद्यालयों और पूरी शिक्षा प्रणाली पर भार कम करने के लिए शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सामान्य प्रवेश परीक्षा के कार्यान्वयन की बारीकियों की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित की जाने वाली सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी) शुरू करने की सिफारिश की। अवरस्नातक कार्यक्रम के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी) का उद्देश्य विभिन्न बोर्डों के छात्रों को समान अवसर देते हुए उनका एक ही स्तर पर आकलन करना है। यह छात्रों के लिए सुविधाजनक है क्योंकि वे एक आवेदन पत्र से अपनी पसंद के अनुसार एक से अधिक विश्वविद्यालयों में आवेदन कर सकते हैं। वे सौ से अधिक परीक्षा केंद्रों पर 13 भाषाओं में परीक्षा दे सकते हैं। अवरस्नातक स्तर के लिए पाठ्यक्रम कक्षा XII के स्तर पर विषय की समझ पर आधारित है, चाहे उसकी किसी भी बोर्ड से संबद्धता हो।
